

.....  
 उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
 श्री  
 ( )

*Handwritten signature*

क्रमांक :- 1053  
 दिनांक :- 14.5.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।  
 2. प्रार्थी श्री ..... को सूचना  
 3. रक्षित प्रतिलिपि।

.....  
 उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
 श्री  
 ( )

.....  
 उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
 श्री  
 ( )

क्र.सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रतिष्ठि (अशुद्ध प्रतिष्ठि)	आदेश (शुद्ध प्रतिष्ठि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पामास	49 नंवा 53920	राजगढ़ पामास राजगढ़	राजगढ़ पामास राजगढ़

प्रार्थी के खाला कुल्हरी प्रार्थना पर एवं पटवारी ..... व मूअनि ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी की अर्जुंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वयण में ग्राम ..... तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी समस्त ..... में खाला संख्या 49 नंवा 53920 को वर्तमान में दर्ज प्रतिष्ठि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

**:- आदेश :-**

.....  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)